

# कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

## // संक्षिप्त निविदा सूचना //

कमांक ३७३/निविदा/लोक/2018-19,

राजनांदगांव दिनांक २०/०८/2018

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी (द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से आयटम दर के आधार पर फॉर्म बी में मुहरबंद निविदाएं दो लिफाका पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ०५/०९/2018 शाम 5.00 बजे तक
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि ०५/०९/2018 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव


क	कार्य का नाम	लागत राशि लाख रुपये में	अमानती राशि रुपये में	निविदा फॉर्म	निविदा प्रपत्र मूल्य रुपये में	समयावधि माह
1	2	3	4	5	6	7
1	भदौरिया अस्पताल के सामने फ्लाइंग ओवर के नीचे पार्किंग में लैण्डस्केपिंग कार्य।	4.97	5000.00	बी	750.00	02 माह

शर्त:-

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंकों एवं शब्दों में संलग्न सूची अनुसार प्रति ईकाई के आधार पर प्रस्तुत करना होगा।
5. समस्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं जीवित बीमा पंजीयन, ड्राइवर का क्विं लायसेंस का सम्यापित छाया प्रति आन लाईन अपलोड करना होगा, इसके अभाव में निविदा अमान्य किया जावेगा।
6. निविदाकार को वाहन/उपकरण स्वयं के स्वामित्व अथवा किरायानामा का दस्तावेज आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा अमान्य किया जावेगा।
7. समस्त वाहनों का फिटनेस प्रमाण आन लाईन आपलोड करना होगा।
8. वाहन खराब होने की स्थिति में दूसरे वाहन/उपकरण तुरंत लगाकर कार्य नियमित रूप से करना होगा, अथवा स्वीकृत राशि से दुगना राशि अर्थदण्ड वसूली की जावेगी।
9. दरें ईकाई में प्रस्तुत करना होगा।
10. कार्य निर्धारित निविदा राशि के अंतर्गत कराया जावेगा।




- 11 नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा। शासन द्वारा निर्धारित सभी करों के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 12 निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकार्यें स्वमेव लागू मानी जावेगी, किन्तु ठेकेदार को किसी भी स्थिति में निविदा में किसी भी प्रकार का एसक्लेशन देय नहीं होगा।
- 13 किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षोंको स्वीकार्य होगा। सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 14 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयकों से की जावेगी।
- 15 सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटो ग्राप्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य की स्थिति संबंधी फोटो ग्राप्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो।
- 16 छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2003 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
- 17 सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 18 सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
- 19 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- 20 पेन नं/टिन नं की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
- 21 जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निविदा में लागू होगा।
- 22 किये गए कार्य का भुगतान राशि के उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

  
आयुक्त

नगर पालिक निगम राजनांदगांव  
राजनांदगांव दिनांक 20/08/2018

पृ.क. 279/लोक-11/2018-19,  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्र. सदस्य लोककर्म, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने।
7. कार्यालय ..... नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

  
आयुक्त

नगर पालिक निगम राजनांदगांव